## 

	Case No - B.A/ .1791.\.	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
STILL STILL	12—07—2017  अधिवक्ता श्री एम.सी. श्रीवास्तव द्वारा मय बकालातनामा के एक आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण शीघ्रसुनवाई एवं एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा.फो. का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक / आरोपी हीरालाल प्रकरण में समर्पण करना चाहता है प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया जावे।  विचारोपरांत आवेदनपत्र स्वीकार प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिया गया।  प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक / आरोपी के विरूद्ध परिवादी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कम्पनी मों के द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिवाद पेश किया गया है जिसमें कि आरोपी / आवेदक के विरूद्ध वारंट जारी है। आवेदक / आरोपी फा जेल वारंट बनाकर उप जेल गोहद भेजा जावे।  आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री एम0सी0 श्रीवास्तव द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश किया गया।  आवेदक / आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक / आरोपी के विरूद्ध परिवादी कम्पनी ने झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा कभी विद्युत चोरी नहीं की गई है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पलान करेगे अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आवेदक / आरोपी के विरूद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया। है। जिसमें कि आरोपी के द्वारा परिवादी वी विद्युत विभाग ने धारा 135 विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया। है। जिसमें कि आरोपी के द्वारा परिवादी की विद्युत लाइन से सीधे तार डालकर पांच एच. पी. का पम्प चलाते हुए सिंचाई करते हुए पाया गया था। जिससे	

कि परिवादी कम्पनी को 41,108/— रूपए की क्षति हुई है। प्रकरण में आरोपी ने आज स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर है जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में आवेदक/आरोपी की ओर से 15,000/— (पंन्द्रह हजार रूपये) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किये जाने पर उसे नियमित जमानत पर छोडा जाये।

प्रकरण में आरोप तर्क हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्ववत दिनांक 09.09.17 को पेश

हो |

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद